

इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड

संबंधित लेन-देन नीति

(निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक ०४ जनवरी २०१२ की मीटिंग में अनुमोदित)

टिप्पणी

इस नीति में निहित कोई प्रावधान यदि किसी स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम से मतभेद उत्पन्न करता है तो उस दशा में लागू स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम ही प्रभावी रहेगा।

विषय - सूची

संबंधित लेन-देन	1
संबंधित लेन-देन की प्रक्रिया	2
संबंधित लेन-देन के प्रकार	3
थाई स्टॉक एक्सचेंज (एसईटी) और प्रतिभूति विनियम (एसईसी) नियमन के अनुरूप लेन-देन के अनुमोदन	4
लेन-देन राशि	5
नए सम्बंधित लेन-देन	5
अंतः लेखा विभाग	6
प्रकटीकरण	6

संबंधित लेन-देन नीति

1. सम्बंधित लेन-देन

संबंधित लेन-देन से अभिप्राय किसी सूचीबद्ध कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों और सूचीबद्ध कंपनी के जुड़े लोगों के बीच लेनदेन से है।

थाई स्टॉक एक्सचेंज (एसईटी) और प्रतिभूति विनिमय (एसईसी) के विनियमों के तहत संबंधित व्यक्ति की परिभाषा निम्नलिखित है:

- (1) प्रबंधन, प्रमुख शेयरधारक, नियंत्रक व्यक्ति या प्रबंधन हेतु नामित व्यक्ति, किसी सूचीबद्ध कम्पनी के नियंत्रक व्यक्ति या कोई सहायक कंपनी एवं ऐसे किसी व्यक्ति से संबंधित अन्य व्यक्ति अथवा उसके निकट सम्बन्धी।
- (2) प्रमुख शेयरधारक के रूप में कोई भी न्यायिक व्यक्ति अथवा किसी सूचीबद्ध या सहायक कंपनी का निम्नलिखित में से कोई नियंत्रक व्यक्ति :
 - (अ) प्रबंधन
 - (ब) प्रमुख शेयरधारक
 - (स) नियंत्रक व्यक्ति
 - (द) प्रबंधन के रूप में नामित व्यक्ति अथवा नियंत्रक व्यक्ति
 - (क) (अ) से (द) तक के व्यक्तियों से संबंधित व्यक्ति और उनके निकट सम्बन्धी
- (3) कोई भी व्यक्ति जिसकी प्रकृति कार्यकारी प्रतीत हो अथवा उपरोक्त प्रभाग (1) से (2) में वर्णित व्यक्तियों के प्रभाव में निर्णय लेने वाला व्यक्ति, नीति निर्धारक, व्यवसाय प्रबंधन या संचालन करने वाले व्यक्ति अथवा विनिमय द्वारा मान्य अन्य कोई व्यक्ति।

टिप्पणी : प्रबंधन का अर्थ है निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बाद के अगले चार कार्यकारी स्तरों के व्यक्ति, या समान पद के व्यक्ति, लेखा या वित्त विभाग के प्रबंधक या उससे ऊपर के व्यक्ति और उनके सहयोगी और सूचीबद्ध कंपनी सम्बंधित व्यक्ति।

मुख्य शेयरधारक का अर्थ है एक ऐसा शेयरधारक जो सीधे या परोक्ष रूप से किसी भी न्यायिक व्यक्ति के शेयरों की कुल भुगतान पूँजी से अधिक राशि के शेयर रखता है। ऐसी शेयरहोल्डिंग में संबंधित व्यक्तियों के शेयरों को भी शामिल किया जाएगा।

नियंत्रक व्यक्ति से अर्थ है (1) 50% से अधिक राशि के मतदान अधिकार वाले न्यायिक व्यक्ति के शेयर धारण करने वाला और उसके कुल मतदान अधिकार रखने वाला न्यायिक व्यक्ति; या (2) शेयरधारकों की बैठक में किसी न्यायिक व्यक्ति के अधिकतर मतदान अधिकारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य कारण से नियंत्रण रखने वाला, या (3) आधे से अधिक निदेशकों की नियुक्ति या हटाने पर नियंत्रण रखने वाला।

संबंधित व्यक्ति से तात्पर्य धारा एसईसी अधिनियम की धारा 258 (1) से (7) के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति:

- (1) ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी;
- (2) ऐसे व्यक्ति का एक मामूली बच्चा;
- (3) कोई साधारण साझेदारी जिसमें ऐसा व्यक्ति या क्रमांक (1) या (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति एक भागीदार है;
- (4) एक सीमित साझेदारी जिसमें ऐसा व्यक्ति या क्रमांक (1) या (2) में निर्दिष्ट एक असीमित उत्तरदायित्व वाला भागीदार या सीमित देयता वाला भागीदार जो सीमित भागीदारी के कुल योगदान के 30 प्रतिशत राशि से अधिक योगदान का संग्रह कर्ता;
- (5) एक सीमित कंपनी या एक सार्वजनिक सीमित कंपनी जिसमें क्रमांक (1) या (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति या (3) या (4) में सामूहिक साझेदारी वाला व्यक्ति जो उस कंपनी के कुल बेचे गए शेयरों के 30 प्रतिशत से अधिक सामूहिक रूप से शेयर धारण करने वाला; या
- (6) एक सीमित कंपनी या एक सार्वजनिक सीमित कंपनी जिसमें क्रमांक (1) या (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति या (3) या (4) में सामूहिक साझेदारी वाला व्यक्ति अथवा क्रमांक (5) जो उस कंपनी के कुल बेचे गए शेयरों के 30 प्रतिशत से अधिक सामूहिक रूप से शेयर धारण करने वाला; या
- (7) एक न्यायिक व्यक्ति जिसे धारा 246 और एसईसी के धारा 247 के तहत प्रतिनिधि के रूप में प्रबंधन की शक्ति प्राप्त है।

निकट सम्बन्धी से तात्पर्य रक्त सम्बन्धी अथवा विधिक पिता, माता, पति, पत्नी, भाई, बहन, बच्चों के पति अथवा पत्नी।

2. सम्बंधित लेन देन की प्रक्रिया

यदि कंपनी ऐसे संबंधित व्यक्तियों के साथ अपना व्यवसाय करती है जिनका कंपनी के साथ कोई हित-संघर्ष हो तो लेखा परीक्षा समिति ऐसे लेनदेन की आवश्यकता के बारे में अपनी राय व्यक्त करेगी। लेखा परीक्षा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि इन लेन-देन के नियमों की शर्तें बाजार की प्रकृति के अनुरूप हैं और इन लेन-देनों की लगायी गयी कीमतों का मूल्यांकन कर लिया गया है और बाजार की कीमतों के साथ इनकी तुलना भी कर ली गयी है। बाजार मूल्य न मिलने की दशा में, लेखा परीक्षा समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कीमतें उचित हैं और लेन-देन कंपनी और इसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में हैं। यदि लेखा परीक्षण समिति कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी के कारण सम्बंधित लेनदेन का मूल्यांकन करने में असमर्थ है, तो कंपनी इस तरह के लेनदेन का मूल्यांकन करने के लिए किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ की व्यवस्था करेगी और उसकी राय लेगी। निदेशक बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति या कंपनी के शेयरधारक ऐसे स्वतन्त्र विशेषज्ञ की राय को अपने निष्कर्ष के पूरक के रूप में उपयोग करेंगे, जहाँ यह लागू हो। ऐसे निदेशक जिनका कंपनी के साथ कोई हित-संघर्ष है, उनका संबंधित लेन देन के मामलों पर मीटिंग में भाग लेना और मताधिकार का प्रयोग करना निषेध है। वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक पंजीकरण वक्तव्य (फॉर्म 56-1) का प्रकटीकरण निर्धारित नियम के अनुसार किया जाएगा।

3. सम्बंधित लेन-देन के प्रकार

(1) सामान्य व्यापार लेनदेन

1.1 सामान्य व्यापार की शर्त के साथ

1.2 सामान्य व्यापार की शर्त के बिना

सामान्य व्यापार लेनदेन का अर्थ किसी सूचीबद्ध कंपनी या एक सहायक कंपनी द्वारा व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया व्यापारिक लेनदेन।

(2) सामान्य व्यापारिक लेन-देन का समर्थन

2.1 सामान्य व्यापार की शर्त के साथ

2.2 सामान्य व्यापार की शर्त के बिना

सामान्य व्यापार लेनदेन का समर्थन करने का अर्थ अपनी कंपनी के सामान्य व्यापारिक लेनदेन के समर्थन के लिए सूचीबद्ध या सहायक कंपनी की समान प्रकृति के सामान्य व्यापार द्वारा किया गया व्यापारिक लेनदेन।

टिप्पणी: सामान्य व्यापारिक शर्त का तात्पर्य व्यापार की ऐसी शर्तों जिनके तहत उचित कीमत हों और लाभों के दुरुूपयोग का कोई कारण नहीं हो और जिसमें निम्नलिखित मूल्य और व्यापारिक स्थितियां शामिल हों:

(1) ऐसी कीमत और शर्तों जो एक सूचीबद्ध कंपनी या सहायक कंपनी सामान्य व्यक्तियों से प्राप्त करती है या प्रस्ताव करती हैं;

(2) ऐसी कीमत और शर्तों जिनका सम्बंधित व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों को प्रस्ताव करता है;

(3) कीमत और शर्तों जो समान व्यवसाय संचालित करने वाले सामान्य व्यक्तियों को प्रस्ताव करने हेतु किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा सिद्ध मूल्य और शर्त

(3) सामान्य व्यापार के किसी संकेत के बिना अचल संपत्ति के 3 वर्ष से कम समय हेतु किराये पर या पट्टे पर

(4) संपत्ति या सेवाओं से सम्बंधित लेनदेन

(5) वित्तीय सहायता की प्राप्ति और / अथवा प्रस्ताव

वित्तीय सहायता का प्रस्ताव और / या प्राप्ति का अर्थ कोई ऋण प्राप्त करने या बढ़ाने, गारंटी देने अथवा संपार्श्विक के रूप में परिसंपत्ति प्रदान करने हेतु कोई वित्तीय सहायता की प्राप्ति अथवा प्रस्ताव।

4. एस ई सी / एस ई टी नियमन के अनुसार लेन देन का अनुमोदन

लेन देन का प्रकार	लघु राशि के लेन देन	मध्यम राशि के लेन देन	बड़ी राशि के लेन देन
1. सामान्य व्यापारिक लेन देन 1.1 व्यापार की सामान्य शर्त के साथ 1.2 व्यापार की सामान्य शर्त के बिना	प्रबंधन द्वारा अनुमोदित प्रबंधन द्वारा अनुमोदित	प्रबंधन द्वारा अनुमोदित बोर्ड द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को प्रकट करके	प्रबंधन द्वारा अनुमोदित बोर्ड द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को प्रकट करके
2. व्यापारिक लेन देन का समर्थन करना 2.1 व्यापार की सामान्य शर्त के साथ 2.2 व्यापार की सामान्य शर्त के बिना	प्रबंधन द्वारा अनुमोदित प्रबंधन द्वारा अनुमोदित	प्रबंधन द्वारा अनुमोदित बोर्ड द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को प्रकट करके	प्रबंधन द्वारा अनुमोदित बोर्ड और शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को प्रकट करके
3. सामान्य व्यापार के किसी संकेत के बिना अचल संपत्ति के 3 वर्ष से कम समय हेतु किराये पर या पट्टे पर	प्रबंधन द्वारा अनुमोदित	प्रबंधन द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को प्रकट करके	बोर्ड द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को प्रकट करके
4. संपत्ति और सेवाओं से सम्बंधित लेन देन	प्रबंधन द्वारा अनुमोदित	बोर्ड द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को प्रकट करके	बोर्ड और शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को प्रकट करके
5. वित्तीय सहायता की प्राप्ति और / अथवा प्रस्ताव 5.1 वित्तीय सहायता का प्रस्ताव a) सम्बंधित न्यायिक व्यक्ति हेतु (i). जहाँ आइवीएल की हिस्सेदारी \geq सम्बंधित व्यक्ति	प्रबंधन द्वारा अनुमोदित	बोर्ड द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को प्रकट करके	बोर्ड और शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को प्रकट करके
(ii). जहाँ आइवीएल की हिस्सेदारी < सम्बंधित व्यक्ति	a) कोई लेन देन जो 100 मिलियन भात से कम अथवा इन टी ए के 3% से कम दोनों में से जो भी कम हो – को बोर्ड द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को सूचित होना चाहिए b) कोई लेन देन जो 100 मिलियन भात अथवा इन टी ए के 3% के बराबर अथवा अधिक है में से जो भी कम हो – को बोर्ड और शेयर धारकों द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को सूचित होना चाहिए		
b) सम्बंधित प्राकृतिक व्यक्ति हेतु	a) कोई लेन देन जो 100 मिलियन भात से कम अथवा इन टी ए के 3% से कम दोनों में से जो भी कम हो – को बोर्ड द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को सूचित होना चाहिए b) कोई लेन देन जो 100 मिलियन भात अथवा इन टी ए के 3% के बराबर अथवा अधिक है में से जो भी कम हो – को बोर्ड और शेयर धारकों द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को सूचित होना चाहिए		
5.2 वित्तीय सहायता की प्राप्ति	प्रबंधन द्वारा अनुमोदित	बोर्ड द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को प्रकट करके	बोर्ड और शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित और एस ई टी को प्रकट करके

5. लेन-देन राशि

- (1) लघु राशि के लेन-देन का तात्पर्य है ऐसे लेन-देन जो 1 मिलियन (एक्स \leq 1 एमबी) भात से अधिक नहीं या कुल संचित परिसंपत्तियों का 0.03 प्रतिशत (एनटीए का एक्स \leq 0.03%), में से जो भी अधिक हो |
- (2) मध्यम राशि के लेन-देन का तात्पर्य है ऐसे लेन-देन जो 1 मिलियन भात से अधिक और 20 मिलियन (1 एमबी $< X <$ 20 एमबी) भात से कम या कुल संचित परिसंपत्तियों के 0.03% से अधिक कुल संचित परिसंपत्तियों के 3% से कम (0.03% $<$ 3% से कम) एक्स $<$ 3% एनटीए), में से जो भी अधिक हो |
- (3) बड़े राशि के लेन-देन का तात्पर्य है ऐसे लेन-देन जो 20 मिलियन (एक्स \geq 20 एमबी) के बराबर या उससे अधिक अथवा कुल संचित परिसंपत्तियों के 3% (एक्स \geq 3% एनटीए) के बराबर या अधिक, में से जो भी अधिक हो

टिप्पणी: कुल संचित परिसंपत्तियां = कुल गणना की जा सकने वाली परिसंपत्तियां (कुल परिसंपत्तियां – गणना न की जा सकने वाली परिसंपत्तियां – कुल दायित्व – अल्प हितधारक शेयरधारक)

6. नए सम्बंधित लेन देन

किसी भी नए सम्बंधित लेन देन के लिए, संबंधित व्यापारिक इकाई को लेखा परीक्षण समिति के सचिव से संपर्क करना होगा और प्रस्तावित लेनदेन के तर्कसंगत होने, लेनदेन के मूल्य, मूल्य निर्धारण, नियम और शर्तों के बारे में सूचित करना होगा और सचिव से सम्बंधित लेन देन की श्रेणी का वर्गीकरण करना होगा ताकि प्रबंधन/ लेखा परीक्षण / बोर्ड/ शेयरधारकों से आवश्यक अनुमोदन लिया जा सके |

इसके अलावा, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे लेनदेन एसईसी अधिनियम, नियमों और सूचना पूंजी बाजार पर्यवेक्षी बोर्ड, एसईसी और एस ई टी के विनियम और सूचनाओं के अनुपालन में किए जाते हैं। इसके अलावा, कंपनी को सम्बंधित लेनदेन और कंपनी की नीति से संबंधित प्रकटीकरण नियमों का भी पालन करना चाहिए। इसके अलावा, जब कंपनी किसी सम्बंधित व्यक्ति के साथ अपने व्यवसाय का संचालन करने का प्रस्ताव करती है, तो कंपनी ऐसे लेनदेन की उचितता पर ऑडिट समिति की राय लेगी। ऐसे लेन-देन में जहां लेखा परीक्षा समिति कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी के कारण सम्बंधित लेनदेन का मूल्यांकन करने में असमर्थ है वहां लेखा परीक्षा समिति एक स्वतंत्र विशेषज्ञ की व्यवस्था कर सकती है जो ऐसे लेन देन का मूल्यांकन करके अपनी राय देंगे | लेखा परीक्षक समिति या स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय का उपयोग कंपनी का निदेशक मंडल या शेयरधारक यह सुनिश्चित करने का निर्णय लेने के लिए करेंगे कि उक्त सम्बंधित लेनदेन सभी शेयरधारकों के उचित और सर्वोत्तम हित में हैं।

कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की यह राय है कि वे अपने निदेशकों या अधिकारियों से इस सन्दर्भ में कोई भी सम्बंधित लेनदेन न करें।

हालांकि, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां अपने निर्देशकों, अधिकारियों या संभावित संबंधित व्यक्तियों के साथ सम्बंधित लेनदेन कर सकती हैं। नतीजतन, निदेशक मंडल सिद्धांततः यह स्वीकार करता है कि प्रबंधन को उचित, पारदर्शी और भ्रष्टाचाररहित शर्तों के अनुरूप इस तरह के लेनदेन को स्वीकृति देने

का अधिकार है, बशर्ते इस तरह का लेनदेन वाणिज्यिक मोलभाव (सामान्य व्यापार की स्थितियों) के आधार पर वैसे ही किया गया है जैसे कि किसी सामान्य व्यक्ति के साथ लागू वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार किया जाता हो और इसमें कंपनी के किसी निदेशक, अधिकारी या संबंधित व्यक्ति के पद का उपयोग किसी हितलाभ के लिए नहीं किया गया हो।

हालांकि किसी वित्तीय सहयोग का प्रस्ताव और / या प्राप्ति के अलावा किसी सम्बंधित लेनदेन के लिए, प्रबंधन ऐसे लेन देन को स्वीकृति दे सकता है जो 50,000 अमरीकी डालर के मूल्य का हो परन्तु एक वित्तीय वर्ष में कुल 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक का न हो। इस तरह के लेनदेन को आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा लेखा परीक्षा समिति / निदेशक मंडल को त्रैमासिक आवृत्ति में सूचित किया जाएगा। इस निर्धारित सीमा से अधिक राशि के लेनदेन हेतु सामान्य स्वीकृति प्रक्रिया लेनी होगी।

7. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग

आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, प्रत्येक तिमाही में सम्बंधित लेनदेनों की निरंतर जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेनदेनों में निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग अपनी रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति के सचिव को देगा जो यह रिपोर्ट आगे लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड को देगा।

8. प्रकटीकरण

लगातार किये जाने वाले सम्बंधित लेनदेनों की सूचना लेखा परीक्षा समिति / निदेशक मंडल को हर तिमाही में दी जाएगी।

सम्बंधित लेनदेन की सूचना त्रैमासिक और वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा की जायेगी और निर्धारित वार्षिक नियमन के अनुसार हमारी वार्षिक रिपोर्ट या वार्षिक पंजीकरण वक्तव्य (फॉर्म 56-1) में प्रकट की जाएगी।

टिप्पणी: वित्तीय विवरणों में लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित किए जाने वाले सम्बंधित लेनदेनों में मात्र उपरोक्त परिभाषित लेनदेन ही नहीं हैं अपितु आईवीएल समूह के समस्त सहयोगियों के बीच के लेनदेन भी शामिल है। हालांकि लेखा परीक्षक समिति और आंतरिक लेखा विभाग का ध्येय केवल सम्बंधित लेनदेन पर केन्द्रित है।